

प्रेस नोट-दिनांक: 12.11.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

□ थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आप0 श्री अनिल कुमार यादव एवं क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 197/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त धनन्जय यादव पुत्र राधाकृष्ण यादव निवासी ग्राम बद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को आज दिनांक 12.11.2024 को उसके घर ग्राम बद्दोपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त-

1. धनन्जय यादव पुत्र राधाकृष्ण यादव निवासी ग्राम बद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

- मु.अ.सं. 197/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
- मु.अ.सं. 34/24 धारा 411/419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
- मु.अ.सं. 39/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
- मु.अ.सं. 71/2022 धारा 307 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
- मु.अ.सं. 321/2020 धारा 294 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
- मु.अ.सं. 136/2019 धारा 379 भादवि थाना लंका जनपद वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली
उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।
हे0का0 अनुज यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।
का0 रवीन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली

□थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा ठगी के शिकार पीडित के 4,000/- रुपये वापस कराये गये

चन्दौली- साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक राहुलपति चौहान पुत्र राजपति चौहान निवासी ग्राम परोरवा रामनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के साथ साइबर फ्राडर द्वारा फ्राड तरीके से दोस्त/रिश्तेदार बताकर व अपने विश्वास मे लेकर 4000 रुपये की आनलाइन धोखाधडी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक राहुलपति चौहान उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनय कुमार सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक राजीव सिसौदिया के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 4000/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी । आवेदक राहुलपति चौहान उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली,अपर पुलिस अधीक्षक महोदय,पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम एवं साइबर थाना प्रभारी जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया है।

थाना साइबर क्राइम टीम जनपद चनदौली पीडित/आवेदक की वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 4000/-रुपए

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह साइबर क्राइम थाना जनपद चन्दौली ।
- 2.उ० नि० बीरेंद्र कुमार
- 3.हे० का० पवन कुमार
- 4.का० अनिल कुमार
- 5.का० मो० नौशाद
- 6.का० राहुल यादव
- 7.का० राहुल सिंह

□थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 07 लीटर अवैध शराब के साथ एक अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा शराब/अवैध तस्करो के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इलिया दयाराम गौतम के कुशल निर्देशन में थाना इलिया पुलिस टीम को दिनांक 12.11.2024 को उस समय सफलता मिली जब अभियुक्त द्वारा एक सफेद प्लास्टिक के झोले में 35 अदद ब्लू लाइम लाइम देशी शराब (मशाला) मात्रा प्रत्येक 200 ML कुल 07 लीटर शराब अवैध तरीके से बेचने हेतु बिहार राज्य ले जाया जा रहा था कि बनरसिया माइनर के पास बहद ग्राम बेन से गिरफ्तार कर लिया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 109/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

1.जमुना बिन्दु पुत्र रामसूरत बिन्दु निवासी ग्राम साहेबाहे पोस्ट अमाव थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 39 वर्ष ।

विवरण बरामदगी-

1.एक सफेद प्लास्टिक के झोले में 35 अदद ब्लू लाइम लाइम देशी शराब (मशाला) मात्रा प्रत्येक 200 ml कुल 07 लीटर शराब अवैध बरामद होना ।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 109/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना इलिया जनपद चंदौली

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम -

- 1.प्रभारी निरीक्षक दयाराम गौतम थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 2.उ0नि0 भोला सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली ।
- 3.का0 आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली ।

थाना बबुरी जनपद चंदौली

□थाना बबुरी पुलिस टीम व जनपदीय एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में 02 लम्जरी कार से 04 गाँजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

□तस्करों के कब्जे लगभग 16 लाख ₹ कीमत के 62.620 किलो ग्राम अवैध गाँजा बरामद

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के गहन पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बबुरी बिन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय व जनपदीय SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में 02 लम्जरी कार से 04 गाँजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 62.620 किलो ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/24 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक-12.11.2024 की प्रातः समय 03.20 AM बजे थानाप्रभारी बबुरी व जनपदीय SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान चक्रिया की तरफ से दो वाहन नं. CG13BB9200 मारूती ग्रैन्ड विटारा (काले रंग) व UP16AJ6035 फीस्टा फोर्ड सफेद रंग लेवा की तरफ से आती हुयी दिखाई दी जिसे रोक कर चेक किया गया तो वाहन नं. CG13BB9200 ग्रैन्ड विटारा की डिक्की में खाकी कलर की प्लास्टिक से लपेटा हुए कुल 35 बण्डल अवैध गाँजा व दूसरी गाडी नं. UP16AJ6035 सफेद रंग की फीस्टा फोर्ड की डिग्गी में से 25 बण्डल खाकी रंग के प्लास्टिक से लपेटा बना हुआ अवैध गाँजा (कुल 62.620 कि0ग्राम) बरामद हुआ।

पहले वाहन नं0 CG13BB 9200 ग्रेन्ड विटारा काले रंग में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति की पहचान नाम दीपक सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम कनकपुरा थाना रेंगाली जिला झारसुगडा उडीसा उम्र करीब 37 वर्ष व बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति नाम नमो नरायन सिंह पुत्र घूरा सिंह निवासी ग्राम रुपवार थाना भीमपुरा जिला बलिया उम्र करीब 32 वर्ष व दूसरी गाडी नं0 UP16AJ6035 सफेद रंग की फीस्टा फोर्ड में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति की पहचान नाम सिन्टू मौर्या पुत्र प्रेमलाल मौर्या निवासी ग्राम कैलहट मोहम्मदपुर थाना चुनार जिला मिर्जापुर उम्र करीब 20 वर्ष व बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति नाम जगत चौहान पुत्र गन्धर्व चौहान निवासी खुजरीपाली थाना भटगांव जनपद विलेगा छत्तीसगढ़ के रूप में हुई। दोनो वाहनों से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/24 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग बराबर-बराबर पैसा लगाकर उडीसा, बिहार से सस्ते दामों पर गाँजा खरीदते है और इकट्ठा करके बंडल तैयार करते है, तथा खरीदे हुए गाँजा को वाराणसी लेकर जाते है जहां उचे दामों पर बेचते है। जो भी मुनाफा होता है उसे हम लोग आपस मे बराबर-बराबर बांट लेते है ।

नाम व पता वांछित अभियुक्तगण-

1. दीपक सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम कनकपुरा थाना रेंगाली जिला झारसुगडा उडीसा उम्र करीब 37 वर्ष
2. नमो नरायन सिंह पुत्र घूरा सिंह निवासी ग्राम रुपवार थाना भीमपुरा जिला बलिया उम्र करीब 32 वर्ष
3. सिन्टू मौर्या पुत्र प्रेमलाल मौर्या निवासी ग्राम कैलहट मोहम्मदपुर थाना चुनार जिला मिर्जापुर उम्र करीब 20 वर्ष
4. जगत चौहान पुत्र गन्धर्व चौहान निवासी खुजरीपाली थाना भटगांव जनपद विलेगा छत्तीसगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

विवरण बरामदगी-

1. 62.620 कि-ग्राम अवैध गाँजा
2. दो लम्जरी कार

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 125/24 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली

बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

- 1.बिन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 2.उ0नि0 गुलाम हुसैन , थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 3.उ0नि0 अवधेश नारायन, थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 4.उ0नि0 संजीत सिंह थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 5.उ0नि0 बलवीर सिंह, थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 6.कां0 प्रेमचन्द दूबे थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 7.का0 अजीत चौहान, थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 1.उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी एसओजी टीम/सर्विलांस सेल
- 2.हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह
- 3.हे0का0 अरविन्द भारद्वाज
- 4.हे0का0 राणा प्रताप सिंह
- 5.हे0का0 आनन्द सिंह
- 6.हे0का0 राजेश यादव
- 7.का0 अजीत कुमार सिंह
- 8.का0 मनोज कुमार
- 9.का0 संदीप कुमार
- 10.का0 नीरज मिश्रा
- 11.का0 गणेश तिवारी